मंदिर श्री बालाजी बनाम हनुमान भू.न 30/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.7.25	पत्रावली पेश। एडवो. उभय पक्ष बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 10.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
10/7/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...................... की जाती हैं। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 30 / 2024

1 मन्दिर श्री बालाजी वाके रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये हितमित्र एवं पूजारी सीताराम पुत्र बीरबल गुर्जर उम्र 53 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी बावड़ी तन रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

अपीलांटस

बनाम

1 हणमान
2 ग्यारसीलाल
3 कालूराम पुत्रगण गीगाराम जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी बावड़ी तन रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना प्रार्थना पत्र
121 / 2023 उनवानी हणमान बनाम भूमिधारी तहसीलदार
श्रीमाधोपुर प्रार्थना पत्र 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम
1955 दिनांकित 09.01.2024

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनसिंह मूण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 10/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 121/2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील मन्दिर श्री बालाजी वाके रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर की एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमि की दक्षिणी सीमा पर रकबा 0.0140 हैक्टेयर भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के समक्ष अपीलाधीन आवेदन संख्या 121/2023 उनवानी हणमान आदि बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना निराधार आधारों पर प्रस्तुत किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन में दिनांक 09.01.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने निमित अवैध आदेश पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से अपीलाधीन आवेदन के जरिए जिस कृषि भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 0.32 हैक्टेयर तन ग्राम रायपुर जागीर में से होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा रास्ते निमित धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय क समक्ष अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 0.32 हैक्टेयर तन ग्राम रायपुर जागीर का खाता, कब्जा, काश्त अपीलानट का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन आवेदन में पक्षकार ही नहीं बनाया गया और विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आवेदन स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिए अपीलांट के खाते, कब्जा, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 0.32 हैक्टेयर तन ग्राम रायपुर जागीर की दक्षिणी सीमा पर रकबा 0.0140 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता कायम किये जाने बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे अपीलांट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रभावित व्यक्ति की हैसियत से माननीय न्यायालय की अनुमति से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलाधीन आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए तथा झूंठे अभिकथनों के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपीलाधीन आवेदन में यह कतई गलत रूप से अंकित किया गया है कि उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 तन ग्राम रायपुर जागीर में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के खाते, कब्जे, काश्त की उपरोक्त वर्णित भूमियों में आवागमन हेतु सदैव से ही भूमि खसरा नम्बर 688 में से होकर रास्ता मौजूद रहा है। इस कारण यदि खसरा नम्बर 688 के सहखातेदारों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को रास्ते में आवागमन में कोई दखलअंदाजी करते है तो उनको खसरा नम्बर 688 के सहखातेदारों के खिलाफ ही विधिक उपचार प्राप्ति हेतु चाराजोही करनी पड़ेगी वे इस आधार पर अपीलान्ट के खाते, कब्जा, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 694 में होकर रास्ते की मांग नही कर सकते है कि खसरा नम्बर 688 के सहखातेदार रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपीलाधीन आवेदन ही पोषणीय नहीं होने के कारण अपीलाधीन आवेदन में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2024 प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अपीलांट मन्दिर श्री बालाजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का संरक्षण प्राप्त होने के कारण मन्दिर की जमीन में से होकर रास्ता कायम किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण भी अपीलाधीन आदेश अवैध है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होकर प्रथम ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस भू अभिलेख निरीक्षक वृत रायपुर जागीर की रिपोर्ट दिनांक 14.11.2023 को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह न तो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन में जारी किये गये दिशा निर्देश दिनांक 25.10.2023 के अनुरूप है तथा न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियत

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ...

68 से 70 के अनुरूप ही है। उक्त रिपोर्ट एकपक्षीय तथा मौका स्थिति के विपरित है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट मूर्ति मंदिर का विधिवत पूजारी नहीं है। तहसीलदार भूमिधारक के रूप में मूर्ति मंदिर की ओर से पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 के प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट के पास रास्ते का अभाव होना, प्रस्तावित रास्ता निकटतम होना, प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रकट है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आईएलआर की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2023 में स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 694 वाके ग्राम रायपुर जागीर का खातेदार मंदिर श्री बालाजी है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन आवेदन में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने मंदिर श्री बालाजी को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। विचारण न्यायालय में केवल भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। मंदिर श्री बालाजी खातेदार को पक्षकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत अपील मंदिर श्री बालाजी की ओर से जरिये हितमित्र एवं पूजारी प्रस्तुत की गई है। खसरा नम्बर 694 का खातेदार होने के कारण मंदिर श्री बालाजी हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना, जवाब प्राप्त किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में की गई कार्यवाही एवं विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर